

वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018-आश्विन 20, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

##### नाम परिवर्तन

मैं, वैभव पिता विजय गडेकर, उम्र 33 साल, वार्ड 10, सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश का निवासी हूँ, मेरा व मेरे पिता का सरनेम (उपनाम) गडेकर तथा जाति जैन है। मेरे सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचय-पत्र, शालेय अभिलेख, मूल निवासी, अनुभव प्रमाण-पत्र आदि मैं मेरा नाम वैभव पिता विजय जैन अंकित है। मेरे दस्तावेजों में मेरे व पिता के उपनाम (गडेकर) के स्थान पर जाति जैन अंकित है। जबकि मेरा और मेरे पिता का वास्तविक सरनेम गडेकर है तथा जाति जैन है। इसी सरनेम व नाम से जाना व पहचाना जाता है। वैभव विजय जैन, वैभव विजय गडेकर, वैभव विजय जैन गडेकर यह तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भविष्य में मुझे वैभव गडेकर पिता विजय गडेकर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

( वैभव विजय जैन )

(556-बी.)

नया नाम :

( वैभव गडेकर )

पिता विजय गडेकर,

निवासी—वार्ड 10, सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

##### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पूनम मिश्रा पुत्री श्री ब्रिजेन्द्र मिश्रा था। मेरी शादी हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 25-04-2012 को श्री राघवेन्द्र पुत्र श्री रामहित द्विवेदी के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद मैंने अपना नाम श्रीमती पूनम द्विवेदी पत्नी श्री राघवेन्द्र द्विवेदी रख लिया है। जो कि मैं आगे इसी नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ। सर्व-साधारण सूचित हो।

पुराना नाम :

( पूनम मिश्रा )

पुत्री श्री ब्रिजेन्द्र मिश्रा।

(560-बी.)

नया नाम :

( पूनम द्विवेदी )

पत्नी श्री राघवेन्द्र द्विवेदी,

निवासी-320, रविन्द्र नगर, उर्राहट, रीवा (हुजूर)

रीवा (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण सूचित हो कि मेरा नाम एवं पिता का नाम मेरे अभिलेखों पर निम्नलिखित है सरोज कुमार शुक्ला पिता जी रामानुज शुक्ला मेरी उम्र 29-06-1959 है तथा मेरा पूरा पता ग्राम धौचट, जे. पी. रोड (बरहा टोला) पोस्ट कचुर, जिला रीवा (म.प्र.) से मेरे पेनकार्ड में मेरे पिता जी का नाम रामानन्द शुक्ला लिख दिया है। जिसे सुधार कर रामानुज शुक्ला किया जाये।

सरोज कुमार शुक्ला,

(559-बी.)

### CHANGE OF NAME

I, Jyotsna Singh D/o Mr. Vijay Kumar Singh & W/o Mr. Paul Shields R/o B-16, 74, Bungalows, Bhopal (M.P. India) am changing my name to "JYOTSNA SINGH SHIELDS". Now in future I will be known as "JYOTSNA SINGH SHIELDS".

Old Name:

New Name :

**( JYOTSNA SINGH )**

D/o Mr. Vijay Kumar singh.

**( JYOTSNA SINGH SHIELDS )**

D/o Mr. Vijay Kumar singh  
& W/o Mr. Paul Shields,  
R/o B-16, 74 Bungalows,  
Bhopal-462003 (M.P. India).

(561-B.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अशोक राजानी पिता नारायणदास राजानी है एवं मैं, अशोक कुमार राजानी पिता नारायणदास राजानी के नाम से भी जाना-पहचाना जाता हूँ। मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में अशोक राजानी पिता नारायणदास राजानी अंकित है। उक्त दोनों मेरे ही नाम होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। मेरे द्वारा अब मेरे नाम अशोक कुमार राजानी पिता नारायणदास राजानी के नाम से कार्य करना बंद कर दिया है एवं मेरे द्वारा उक्त नाम अशोक कुमार राजानी पिता नारायणदास राजानी का उपयोग अब किसी स्थान/दस्तावेज पर नहीं किया जाता है। वर्तमान में मैं, केवल अशोक राजानी पिता नारायणदास राजानी के नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ। अतः अब मुझे अशोक राजानी पिता नारायणदास राजानी के नाम से जाना-पहचाना जावे व समस्त व्यक्ति, फर्म, संस्था, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय मेरे समस्त दस्तावेजों लेख-विलेख एवं पत्र इत्यादि में मेरा यही नाम अंकित कर मुझे इसी नाम से सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

**( अशोक कुमार राजानी )**

पिता नारायणदास राजानी।

**( अशोक राजानी )**

पिता नारायणदास राजानी,  
112, त्रिवेणी कॉलोनी, एक्सेंशन,  
माता मंदिर के पास इन्दौर (म.प्र.).

(557-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्रीमती मीरा पति अशोक राजानी है। मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में श्रीमती मीरादेवी पति अशोक राजानी एवं कुछ दस्तावेजों में श्रीमती मीराबाई पति अशोक राजानी अंकित है। जबकि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती मीरा पति अशोक राजानी ही है एवं मैं इसी नाम से जाना-पहचानी जाती हूँ। मेरे दस्तावेजों में मेरे नाम के साथ देवी एवं बाई त्रुटिवश अंकित हो रहा है। श्रीमती मीरादेवी पति अशोक राजानी एवं श्रीमती मीराबाई पति अशोक राजानी मेरे ही नाम होकर एक ही व्यक्ति के नाम है, जो कि वास्तविक रूप से श्रीमती मीरा पति अशोक राजानी है। अतः अब मुझे श्रीमती मीरा पति अशोक राजानी के नाम से जाना-पहचाना जावे व समस्त व्यक्ति, फर्म, संस्था, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय मेरे समस्त दस्तावेजों लेख-विलेख एवं पत्र इत्यादि में मेरा यही नाम अंकित कर मुझे इसी नाम से सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

**( मीरादेवी )**

पति अशोक राजानी।

**( मीरा )**

पति अशोक राजानी।

(558-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में रामकृष्ण दर्ज है तथा विद्यालय अभिलेखों व शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम आदित्य आचार्य दर्ज है। रामकृष्ण व आदित्य आचार्य मेरे पुत्र का एक ही व्यक्ति का नाम है। वास्तव में मेरे पुत्र का नाम आदित्य आचार्य ही है। भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य आचार्य के नाम से जाना-पहचाना जावे।

(562-बी.)

विवेक आचार्य,  
स्थाई पता-769, कैलाश बिहार,  
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम श्रीमती पूजा प्रकाश है जो समस्त दस्तावेजों में अंकित है अब इस नाम के स्थान पर श्रीमती पूजा गुप्ता कराना चाहती हूँ। अतः भविष्य में मुझे समस्त शासकीय दस्तावेजों में श्रीमती पूजा गुप्ता के नाम से जाना-पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(पूजा प्रकाश)

पुत्री श्री ओम प्रकाश।

नया नाम :

(पूजा गुप्ता)

पत्नी श्री अनिल मोहिते,  
निवासी-फ्लेट नम्बर-5-बी, जे. के. हॉस्पिटल,  
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(563-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम पवन देवी कौरव से बदलकर नया नाम पूनम कौरव रख लिया है। मुझे भविष्य में सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम पूनम कौरव के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जाये।

पुराना नाम :

(पवन देवी)

(567-बी.)

नया नाम :

(पूनम कौरव)

पत्नी श्री संजय कौरव,  
वार्ड नं.-20, आदर्श कॉलोनी,  
गोले का मंदिर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

### उपनाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम MONIA BHATTI था जोकि विवाह के बाद बदलकर MONIA CHHABRA हो गया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम MONIA CHHABRA से जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(MONIA BHATTI)

(569-बी.)

नया नाम :

(MONIA CHHABRA)

पता-PLOT NO. 33, Sainik Colony,  
Bairagarh, Bhopal-462030.

### नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। जिसका जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश ईशान श्रीवास्तव दर्ज हो गया है। जो असत्य है इनका सही नाम आशुतोष श्रीवास्तव पुत्र अजय श्रीवास्तव म. नं. एन. 4/69/ए, बरखेड़ा भेल, भोपाल है। भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

(573-बी.)

अजय श्रीवास्तव,  
पता-एन. 4/69/ए, बरखेड़ा भेल, भोपाल.

### नाम परिवर्तन

मैं, मृत्युंजय शर्मा (Mrityunjay Sharma) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम मृत्युंजय (Mrityunjay) मेरे शैक्षणिक शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र में अंकित है। जबकि मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा (Mrityunjay Sharma) है एवं मैं इसी नाम मृत्युंजय शर्मा (Mrityunjay Sharma) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट में भी मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा (Mrityunjay Sharma) अंकित है। मैं वर्तमान एवं भविष्य में भी मृत्युंजय शर्मा (Mrityunjay Sharma) के नाम से ही जाना, पहचाना, पुकारा जाऊँगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा। अतः मेरे सभी शैक्षणिक शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम मृत्युंजय (Mrityunjay) के स्थान पर मृत्युंजय शर्मा (Mrityunjay Sharma) किया जाये।

सर्वजन एवं आमजन सूचित हूँ

पुराना नाम :

( मृत्युंजय )

( MRITYUNJAY )

(571-बी.)

नया नाम :

( मृत्युंजय शर्मा )

( MRITYUNJAY SHARMA )

निवासी-के-17-ए, गांधी नगर,  
पड़ाव, ग्वालियर.

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अंगीता पिता राजेन्द्र गावंडे, निवासी टिकारी बैतूल (म.प्र.) का विवाह दिनांक 05-05-2003 को बैतूल (म.प्र.) में श्री नंदकिशोर भारती के साथ संपन्न हुआ है। विवाह उपरांत अब मेरा नाम श्रीमती संगीता पति नंदकिशोर भारती, निवासी बडोरा के नाम से जाना-पहचाना जावेगा।

पुराना नाम :

( अंगीता गावंडे )

(576-बी.)

नया नाम :

( संगीता भारती )

पति नंदकिशोर भारती,  
निवासी-बडोरा, तहसील बैतूल,  
जिला बैतूल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे कुछ शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम लालजीत गंगादेव पाण्डेय (LalJeet Ganga Dev Pandey) लिखा गया है। जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम लालजीत पाण्डेय (LalJeet Pandey) पुत्र श्री गंगादेव पाण्डेय (Ganga Dev Pandey) है जो कि मेरे सर्टीफिकेट, पेनकार्ड, आधारकार्ड व वोटर कार्ड में दर्ज है। अतः मुझे सही नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( लालजीत गंगादेव पाण्डेय )

( LALJEET GANGA DEV PANDY )

(575-बी.)

नया नाम :

( लालजीत पाण्डेय )

( LALJEET PANDEY )

पुत्र श्री गंगादेव पाण्डेय,  
( GANGA DEV PANDY )  
सी-403, टॉप रेसीडेंसी, मित्तल कॉलेज के पास,  
रामलालखेड़ी, भोपाल.

### CHANGE OF NAME

I, Sanjay Pathak Son of Late Shri Satyendra Pathak, residing at C.L. Pathak, Ward District Katni, Madhya Pradesh-483501 have changed my name from Sanjay Pathak to Sanjay Satyendra Pathak by an affidavit sworn before the Notary Public, District Katni Madhya Pradesh. Henceforth, I shall be known as Sanjay Satyendra Pathak for all the purposes.

Old Name:

( संजय पाठक )

( SANJAY PATHAK )

(580-B.)

New Name :

( संजय सत्येन्द्र पाठक )

( SANJAY SATYENDRA PATHAK )

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स अनुग्रह इन्फ्रा समान नाका रीवा मध्यप्रदेश से दिनांक 01-09-2018 से भागीदार श्री अभिवन मिश्रा को पृथक् कर दिया गया है, उक्त दिनांक से ही फर्म में दो नये भागीदार श्रीमती आशा मिश्रा एवं श्रीमती ऐश्वर्या शर्मा को शामिल किया गया है, शेष पार्टनर फर्म में यथावत् बने रहेंगे।

मैसर्स अनुग्रह इन्फ्रा,  
मनोज कुमार बाजपेयी,  
(भागीदार)

(564-बी.)

15/153 समान नाका, रीवा (म. प्र.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पद्मावती स्टोन स्थित ग्राम नारदपुर पो. मगतपुरा, तहसील पवई, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 06/11/03/00054/13, दिनांक 22-08-2013 है. जिसमें दिनांक 01-09-2017 से भागीदार श्री रामबाबू गौतम आत्मज श्री रामकिशोर गौतम, (2) आशीष कुमार खरे पुत्र डॉ. वेद प्रकाश खरे, (3) पंकज रिछारिया पुत्र डॉ. रामनारायण रिछारिया, (4) जीतेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामदास सेठ, चारों भागीदारी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. एवं इसी दिनांक 01-09-2017 से भागीदार सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री भामा सिंह चौहान, (2) पुष्पेन्द्र सिंह परमार पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह परमार फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. एवं दिनांक 01-08-2018 से भागीदारी श्रीकान्त दीक्षित पुत्र स्व. श्री भास्कर दीक्षित एवं प्रथमेश चतुर्वेदी पुत्र श्री रमेशचन्द्र चतुर्वेदी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं, वर्तमान भागीदार श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान एवं पुष्पेन्द्र सिंह चौहान दो ही भागीदार फर्म में शेष रहेंगे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म—पद्मावती स्टोन,  
सुरेन्द्र सिंह चौहान,  
ग्राम नारदपुर पो., मगतपुरा, तह. पवई,  
जिला, पन्ना (म.प्र.).

(565-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पूजा इन्टरप्राइजेज मेला के सामने जमुना नगर भिण्ड के निम्न पार्टनर (साझेदार) जिनमें (1) मुनेश दीक्षित पुत्र श्री छोटेलाल दीक्षित, नि. जमुना नगर भिण्ड, (2) अनीता सिंह पत्नी श्री रामप्रताप सिंह, नि. लहार रोड भिण्ड, (3) नरेन्द्र तिवारी पुत्र श्री रामप्रकाश तिवारी निवासी जमरेही प्रथम, माधौगढ़ जिला जालौन (उ.प्र.), (4) रमाकान्त तिवारी पुत्र श्री जागेश्वर दयाल तिवारी, निवासी बहादुरपुर, माधौगढ़ जिला जालौन (उ.प्र.), (5) आशाभारती त्यागी पत्नी श्री अवधेश त्यागी, निवासी मार्केटिंग सोसायटी के पीछे, गल्ला मण्डी भिण्ड को दिनांक 01-04-2018 से अपनी स्वेच्छा से उक्त भागीदारी फर्म से पृथक् हो रहे हैं. अगर किसी व्यक्ति या फर्म को इस संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर फर्म के कार्यालय मेला के सामने, जमुना नगर भिण्ड में आपत्ति दर्ज करावें।

मैसर्स पूजा इन्टरप्राइजेज,  
उमेश दीक्षित,  
(भागीदार)  
मेला के सामने, जमुना नगर,  
भिण्ड (म. प्र.).

(566-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म पंजीयन क्र 02/42/01/0262/18, कार्यालय फर्मस सोसायटी ग्वालियर (मध्यप्रदेश) नाम Yuvraj Fitness Centre, Shop No.2, 3rd Floor Rolex Tower City Centre Gwalior (M.P) में से दिनांक 15-09-2018 को साझेदार Mrs. Ruchi Gupta D/o Shri Ram Sevak Gupta E2/02, Windsor Hills Sirol Road City Centre Gwalior (MP) पद भार छोड़ रही हैं और Mr. Ramswaroop Shivhare S/o Shri Hargovind Shivhare 47 Durgapuri Tansen Road Gwalior (M.P) पद भार सम्भालने के लिये शामिल हो रहे हैं. फर्मस सोसायटी कार्यालय हैलीपैड कालौनी ग्वालियर (म.प्र.) आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

Yuvraj Fitness Centre,  
**REETESH GUPTA,**  
(Partner)  
Gwalior.

(568-बी.)

### आम सूचना

( भारतीय भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत )

फर्म मैसर्स CLARKS RESORT का नाम दिनांक 08-10-2018 से परिवर्तन कर GRACES RESORT किया जा रहा है।

धीरेश निगम,

11, वर्धमान परिसर चुना-भट्टी,

भोपाल (म.प्र.).

(579-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मे. सरोज बस सर्विस, भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) को आज दिनांक 31-03-2005 को समाप्त कर भागीदारी भंग कर दी है। आगे से इस फर्म के प्रोप्रायटर श्री नवल कुमार चौरड़िया (एचयूएफ) कर्ता के रूप में देखेंगे तथा कार्य करते रहेंगे। अतः इस फर्म के संबंध में सभी संव्यवहार की जवाबदारी इनकी रहेगी तथा आगे से कोई भी संव्यवहार श्री नवल कुमार चौरड़िया (एचयूएफ) से किया जावे।

वास्ते—सरोज बस सर्विस,  
नवल कुमार चौरड़िया (एचयूएफ),  
(पार्टनर)  
भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.).

(581-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स इम्प्रेशन फर्नीचर इंडस्ट्रीज 28-ए.जी. सेक्टर, गोविंदपुरा जे.के. रोड भोपाल म.प्र. जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटीज म.प्र. के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/00280/12, दिनांक 08/10/2012 पर रजिस्टर्ड फर्म है जिसमें वर्तमान में तीन भागीदार श्री चेतन सुखरमानी पिता स्व. श्री बी.सी. सुखरमानी, निवासी ई-3/22 अरेरा कॉलोनी भोपाल म.प्र. श्री राकेश सुखरमानी पिता श्री चेतन सुखरमानी, निवासी ई-3/22, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश, श्रीमती सीमा सुखरमानी पती श्री राकेश सुखरमानी निवासी ई-3/22, अरेरा कॉलोनी भोपाल मध्यप्रदेश भागीदार हैं एवं इस भागीदारी फर्म में चार नये भागीदार सरिता बाथम श्री दीपक शर्मा, श्री अरविन्द आर शर्मा, श्री हिमाशु शर्मा को समिलित कर लिया है अतः संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 14-03-2018 को शर्तों के अनुसार समस्त भागीदारों की सहमती के दिनांक 14-03-2018 से ही भागीदारी के रूप में समिलित कर लिया है अतः अब भागीदारी फर्म (1) श्री चेतन सुखरमानी, (2) श्री राकेश सुखरमानी, (3) श्रीमती सीमा सुखरमानी, (4) सरीता बाथम, (5) श्री दीपक शर्मा, (6) अरविन्द आर. शर्मा, (7) श्री हिमाशु मिश्रा की भागीदारी में संचालित की जा रही है।

मैसर्स इम्प्रेशन फर्नीचर इंडस्ट्रीज,  
राकेश सुखरमानी,  
(भागीदार)  
गोविंदपुरा भोपाल (म.प्र.).

(574-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बारी ऑटो सप्लाई कम्पनी स्थित ए.बी. रोड मुरैना मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्र. 1747, दिनांक 27-12-1986 है। जिसमें दिनांक 25-03-1992 को भागीदार श्री द्वारिकाप्रसाद पुत्र श्री श्यामलाल, निवासी जीवाजीगंज, मुरैना अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये थे। तत्पश्चात् दिनांक 23-08-2018 के संशोधन संलेख से उक्त फर्म से भागीदार श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद, निवासी जीवाजीगंज मुरैना अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये एवं श्री नरेश गर्ग पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गर्ग, निवासी 63, जीवाजीगंज मुरैना फर्म में समिलित हो गये।

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स बारी ऑटो सप्लाई कम्पनी,  
सियाराम गर्ग,  
(भागीदार)  
ए.बी. रोड, मुरैना (म.प्र.).

(577-बी.)

## जाहिर सूचना

कम्पनी अपील क्रमांक 90/252(3)/रा.क.वि.न्याय./अहमदाबाद/2018.

**राकेश प्रताप सिंह**

**विरुद्ध**

**कम्पनी रजिस्ट्रार, न्यायालय के संबंध में**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-252 (3) के संबंध में कम्पनी पीटीशन सं. 90/252/रा.क.वि.न्याय./अहमदाबाद/2018 के तहत् कम्पनी का नाम प्रवर्तित करने के बारे में

यह सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण, अहमदाबाद पीठ ने कम्पनी अपील क्रमांक 90/252/रा.क.वि.न्याय./अहमदाबाद/2018 में आदेश दिनांक 10-04-2018 द्वारा नारायण देव इन्फ्रा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत पता डी. एम. 13-404, आई.बी.डी. हालमार्क, सिटी कोलार, रोड, भोपाल मध्यप्रदेश 462016 है को कम्पनियों के रजिस्टर में पुनः स्थापना के लिये निर्देशित किया है। माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण, अहमदाबाद पीठ के उक्त आदेशानुसार कम्पनी जिसका नाम नारायण देव इन्फ्रासिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है को कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश द्वारा कम्पनियों के रजिस्टर में पुनः स्थापित कर दिया गया है।

Narayan Devinfra System Pvt. Ltd.  
CIN: U45200MP2012PTC027739

**स्थान:** भोपाल.

**दिनांक:-** 27-09-2018

(578-बी.)

**राकेश प्रताप सिंह,**

(Director).

Regd. Office-39DM/13-404 Hollmark City,  
Kolar Road, Bhopal.

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर**

**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री वैश्य संस्कृति (पारमार्थिक) न्यास, 22 जाय बिल्डर्स, राणीसती गेट, इन्दौर तर्फे दिनेश तापडिया, निवासी-240, जवाहर मार्ग, रामोहल्ला चौराहा, इन्दौर द्वारा श्री वैश्य संस्कृति (पारमार्थिक) न्यास, 22 जाय बिल्डर्स, राणीसती गेट, इन्दौर द्वारा श्री वैश्य संस्कृति (पारमार्थिक) न्यास, 22 जाय बिल्डर्स, राणीसती गेट, इन्दौर म.प्र. के द्वारा म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : “श्री वैश्य संस्कृति (पारमार्थिक) न्यास”.

पता : 22 जाय बिल्डर्स, राणीसती गेट, इन्दौर (म.प्र.).

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 50000/- (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र)।

आज दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

मदनी ट्रस्ट, 99/1, नयापुरा, इन्दौर तर्फे न्यासीकरण आवेदक श्री हाजी मोहम्मद युनुस पिता हाफीज मोहम्मद नसीर, निवासी-दरगाह, मकान नंबर 700/2, दरगाह चिप्सावली आजाद नगर, एमागिर्द बुरहानपुर द्वारा मदनी ट्रस्ट, 99/1, नयापुरा, इन्दौर द्वारा म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे अथवा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“मदनी ट्रस्ट”.
पता	:	99/1, नयापुरा, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	322, जवाहर मार्ग, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 19 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सुनील कुमार झा,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(1125)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी****फार्म नम्बर-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी के समक्ष।

आवेदक कन्हैयालाल पिता उधवास गुर्जर बड़वानी परिनायक, जिला बड़वानी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत गायत्री प्रज्ञा पीठ, पाटी को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार/सुनवाई नहीं की जावेगी।

आज दिनांक 28 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1126)

**फार्म नम्बर-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी के समक्ष।

आवेदक प्रमुख ट्रस्टी श्री मंशाराम पिता राजाराम अवास्या, निवासी पिछोड़ी, जिला बड़वानी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत गायत्री परिवार ट्रस्ट, पिछोड़ी को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार/सुनवाई नहीं की जावेगी।

आज दिनांक 28 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1127)

अभय सिंह ओहरिया,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी खुरई, जिला सागर**

**प्रारूप-चार**

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,  
लोक न्यास,  
खुरई, जिला सागर मध्यप्रदेश के समक्ष।

चूंकि श्री चैताबसिंह पिता महराजसिंह राजपूत एवं अन्य, निवासी ग्राम भैलईया, तहसील मालथौन, जिला सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे समक्ष न्यायालय में दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी खुरई, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासीण या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

**अनुसूची**

लोक न्यास का नाम	:	मंदिर श्री रामचंदं जी स्थित ग्राम भैलईया, तहसील मालथौन, जिला सागर (म.प्र.).
------------------	---	---

सम्पत्ति का विवरण—

चल सम्पत्ति	:	461.00 रुपया।
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम भैलईया की भूमि खसरा नंबर 53, 55, 59, 110, 130, 135, 332 रकवा 5.03 हैक्टर।

विकास कुमार सिंह,

पंजीयक।

(1128)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल  
प्र.क्र. 03/बी-113/2017-18.

**फार्म-4**

[नियम-5(1) देखिए]

जाहिर-सूचना

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (आरती सिन्हा ट्रस्ट) द्वारा श्रीमती आरती संतोष सिन्हा, मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा आरती सिन्हा ट्रस्टी, निवासी म. नं. बी-103, पारस अर्बन पार्क, बाबडियां कलां, ई-8, एक्सटेंशन अरेरा कॉलानी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट के पंजीयन किये जाने की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

- |                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | आरती सिन्हा ट्रस्ट. |
| 2. अचल सम्पत्ति  | : | निल.                |
| 3. चल सम्पत्ति   | : | निल.                |

आज दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

संजय कुमार श्रीवास्तव,  
रजिस्ट्रार।

(1139)

### अन्य सूचनाएं

**कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर**

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रशासक।

कलेक्ट्रेट कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर।

कलेक्ट्रेट कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र.डी.आर./जी.डब्लू.आर./227, दिनांक 22 जून, 1995 है। के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार सिंघल, सहकारी निरीक्षक एवं प्रशासक के द्वारा संज्ञान में लाया गया कि प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर निर्वाचन कार्यवाही पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है संस्था सदस्य संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं। संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री आर. के. गुप्ता द्वारा भी अवगत कराया गया कि संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्ड्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अनुभा सूद,  
उप-पंजीयक।

(1129)

### कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3)अंतर्गत]

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बैरागढ़ छत्री जिसका पंजीयन क्र.1602 दिनांक 06 मार्च, 2012 है। निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था निर्वाचन करने में असफल रही एवं अंकेक्षण कक्ष टीप अनुसार संस्था गत वर्षों अकार्यशील है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ 5-1-9-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बैरागढ़ छत्री जिसका पंजीयन क्र. 1602, दिनांक 06 मार्च, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाय। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(1131)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3)अंतर्गत]

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. शिवखेडी जिसका पंजीयन क्र.1589 दिनांक 03 फरवरी, 2012 है। विधि कक्ष की टीप अनुसार संस्था प्रशासक को चार्ज देने में असफल रही एवं अंकेक्षण कक्ष टीप अनुसार संस्था गत वर्षों अकार्यशील है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ 5-1-9-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाय। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(1132)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3)अंतर्गत]

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. श्यामपुरा टम्पा जिसका पंजीयन क्र.1544 दिनांक 13 जून, 2011 है। निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था निर्वाचन करने में असफल रही एवं अंकेक्षण कक्ष टीप अनुसार संस्था गत वर्षों अकार्यशील है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ 5-1-9-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. श्यामपुरा टम्पा जिसका पंजीयन क्र. 1544, दिनांक 13 जून, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाय। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(1133)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) अंतर्गत ]

लक्ष्मी बाई महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या. लंगापुरा आष्टा जिसका पंजीयन क्र. 1480 दिनांक 06 नवम्बर, 2010 है। निवाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था निवाचन करने में असफल रही एवं अंकेक्षण कक्ष टीप अनुसार संस्था गत वर्षों अकार्यशील है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ 5-1-9-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर लक्ष्मी बाई महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या. लंगापुरा आष्टा जिसका पंजीयन क्र. 1480, दिनांक 06 नवम्बर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाय। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(1134)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) अंतर्गत ]

इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2015/1176 सीहोर दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के द्वारा मौं शारदा फल-फूल, साग-भाजी उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित बापचा दौनिया जिसका पंजीयन क्र. 1191, दिनांक 11 फरवरी, 2002 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभी की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रर शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौं शारदा फल-फूल, साग भाजी उत्पादक एवं विपरण सहकारी संस्था मर्यादित, बापचा दौनिया जिसका पंजीयन क्र. 1191, दिनांक 11 फरवरी, 2002 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(1135)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) अंतर्गत ]

इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2015/1176 सीहोर दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के द्वारा पूजा, फल, फूल, साग, भाजी उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, दारापुर मुगली जिसका पंजीयन क्र. 1189 दिनांक 11 फरवरी, 2002 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभी की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूजा फल, फूल, साग-भाजी उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, दारापुर मुगली जिसका पंजीयन क्र. 1189 दिनांक 11 फरवरी, 2002 संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता है।

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(1136)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-16 (12) के अंतर्गत]

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./साख/विधि/पी-21/2017/3892, दिनांक 25 नम्बर, 2017 द्वारा ग्राम रिठवाड़ में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला को पुनर्गठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रिठवाड़ का गठन होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला द्वारा दिनांक 06-12-2017 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए निमानुसार प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित किया है। प्राथ. कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला में राला, पाड़ल्या, अमलाड़ा, सरवरांज, चिंटीखेड़ा, नंदगांव, खनपुरा पीपलकोटा को मिलाकर एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रिठवाड़ में-रिठवाड़, हाथीघाट, हार्डिया, नेहरुगाँव, बड़ोदिया, खात्याखेड़ा, नहारखेड़ा को मिलाकर दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है, अतः अधिनियमत की धारा-16(5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत प्रेषित है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 19-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,  
उप-पंजीयक।

(1130)

### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,  
अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक,  
रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति  
मर्या., जबलपुर, प. क्र. 102.

कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी संस्था के संबंध में राय बनाई गई है कि-

(1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि:-

- (अ) संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जा रहे हैं।
- (ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसुप्त कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है।
- (स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है।
- (द) संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

(2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

- (अ) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।
- (ब) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए।
- (स) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।
- (द) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की।

(इ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् सूची का प्रकाशन नहीं किया।

(फ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया।

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 28 अगस्त, 2018 तक उत्तर प्रस्तुत करें। उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(1137)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक

संजीवनी साख सहकारी समिति,

मर्या, इमलिया पनागर, पं. क्र. 2108.

कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी संस्था के संबंध में राय बनाई गई है कि-

(1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि:-

- (अ) संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जा रहे हैं।
- (ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है।
- (स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है।
- (द) संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

(2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(इ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् सूची का प्रकाशन नहीं किया।

(अ) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9)(ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।

(ब) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए।

(स) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।

(द) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की।

(इ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् सूची का प्रकाशन नहीं किया।

(फ) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया।

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 28 अगस्त, 2018 तक उत्तर प्रस्तुत करें। उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

जी.पी.प्रजापति,

उप-पंजीयक।

(1138)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018-आश्विन 20 शके 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 मई, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील करैरा (शिवपुरी), अशोकनगर (अशोकनगर), रहेली (सागर), गुढ़ (रीवा), गोपद बनास (सीधी), नसरूल्लागंज (सीहोर), जबलपुर (जबलपुर) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.05 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील हुजूर (रीवा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई.- जिला दमोह, मन्दसौर, शाजापुर, धार, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में कहीं-कहीं पर जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी.- ..

4. फसल स्थिति- ..

5. कटाई.- ..

6. सिंचाई.- जिला शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मन्दसौर, उज्जैन, शाजापुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. चारा.- राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 मई, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	.. .. .. .. .. ..				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	.. .. .. .. ..				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौनमिहोना 7. गोरमी 8. मौ	.. .. .. .. .. .. .. ..				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव	.. .. .. .. ..				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. इन्द्रगढ़ 4. बढ़ौनी 5. भाण्डेर	.. .. .. .. ..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b> 1. शिवपुरी 2. पिंडोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बैराड़ 9. बद्रवास	मिलीमीटर .. .. .. .. 5.0 .. .. .. ..	2. ..          	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त 6. संतोषप्रद चारा अपर्याप्त	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
<b>7. जिला अशोकनगर :</b> 1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्रेरी 5. नई सराय 6. पिपरइ 7. शाढौरा	मिलीमीटर .. 12.0 .. .. .. .. ..	2. ..         	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>8. जिला गुना :</b> 1. गुना 2. रघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. मकसूत्नगढ़ 7. कुम्भराज	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. ..	2. ..         	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b> 1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. खरगापुर 8. मोहनगढ़ 9. लिधौरा 10. ओरछा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. ..          	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>10. जिला छतरपुर :</b> 1. लोणडी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. महाराजपुर 9. चंदला 10. धुबारा 11. लवकुश नगर 12. बक्सवाहा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. ..             	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. रेपुरा 6. अमानगंज 7. देवेन्द्र नगर 8. सिमारिया 9. शाहनगर	.. .. .. .. .. .. .. .. ..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	.. .. .. .. 3.0 .. .. .. .. .. ..				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4.(1) मूँग, कम. मोठ जायद कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा 2. बिट्यागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	.. .. .. .. .. .. ..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-(बघेलान) 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. कोठर 10. बिरसिंहपुर	.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हुजूर 6. युद्ध 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जवा 10. नईगढ़ी 11. रायपुर(कर्चुलियान)	.. .. .. .. 23.0 12.0 .. .. .. .. ..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोलः</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. चोदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	2.6				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू हैं.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारागढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. दलोदा	..				
9. धुंधड़का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
<b>23. जिला रत्लाम :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रत्लाम	..				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>25.*जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ोदिया	..				
7. गुलाना	..				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकछ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b> 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर .. .. .. .. ..	2. ..     	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>29.*जिला अलीराजपुर :</b> 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सॉडवा 5. चन्द्रशेखर आ. नगर 6. उदयगढ़ 7. भामरा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. ..	2. ..       	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
<b>30.जिला धार :</b> 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई कार्य चालू है.        	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>31. जिला इन्दौर :</b> 1. देपालपुर 2. सांवर 3. इन्दौर 4. हातोद 5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर .. .. .. .. ..	2. ..      	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>32. जिला खरगौन :</b> 1. बडवाह 2. महेश्वर 3. सेंगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगावं 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. ..          	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>33. जिला बड़वानी :</b> 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. ..         	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34.*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ..  (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) ..  (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ..  (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..				
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारांगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ..  (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ..  (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7.पर्याप्त. 8.पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. बैरागड़	..				
3. हुजूर	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गना समान.  (2) गना समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	8.0				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40.*जिला रायसेन :</b> 1. रायसेन 2. गैरतगंज 3. बेगमगंज 4. गोहरगंज 5. बरेली 6. सिलवानी 7. बाड़ी 8. सुल्तानपुर 9. उदयपुरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
<b>41.*जिला बैतूल :</b> 1. बैतूल 2. भैंसदेही 3. घोड़ाड़ोंगरी 4. शाहपुर 5. चिंचोली 6. मुल्ताई 7. आठनेरे 8. आमला	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
<b>42.जिला होशंगाबाद :</b> 1. होशंगाबाद 2. सिवनी मालवा 3. बावई 4. इटारसी 5. सोहागपुर 6. पिपरिया 7. बनखेड़ी 8. डोलरिया 9. पचमढ़ी	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. .. 4. (1) मूँग जायद समान. (2) मूँग समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>43.जिला हरदा :</b> 1. हरदा 2. खिड़किया 3. सिराली 4. रेहटांव 5. हर्डिया 6. टिमरनी	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>44. जिला जबलपुर :</b> 1. जबलपुर 2. कुण्डम 3. सीहोरा 4. पाटन 5. मझौली 6. शाहपुरा 7. पनागर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्ड, मूँग जायद कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>45. जिला कटनी :</b> 1. बहोरीबंद 2. ढीमरखेड़ी 3. रीठी 4. बड़वारा 5. मुड़वारा (कटनी) 6. विजयराघवगढ़ 7. बरही	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b> 1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा	मिलीमीटर	2. ..     	3. .. 4.(1) उड़द, मूँग ग्रीष्म कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>47. जिला मण्डला :</b> 1. मण्डला 2. मैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	मिलीमीटर	2. ..     	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b> 1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	मिलीमीटर	2. ..   	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b> 1. छिंदवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जूनारदेव (जामई) 5. सासर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांढुर्णा	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>50. *जिला सिवनी :</b> 1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कंवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. घनोरा 8. घंसोर	मिलीमीटर	2. ..        	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
<b>51. जिला बालाघाट :</b> 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलांजी	मिलीमीटर	2. ..           	3. .. 4.(1) धान समान. (2) धान समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप:- जिला आगर, अलीगढ़ाजपुर, खण्डवा, रायसैन, बैतूल, सिवनी से प्रत्रक अप्राप्त है।

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1123)